बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 57

छोटे कारोबारियों को कर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते समय दोबारा अपनी सरकार बनने पर नीतियों में बदलाव को लेकर कई वादे किए हैं। मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को परंपरागत तौर पर छोटे कारोबारियों की पार्टी माना जाता रहा है लेकिन उनकी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में अपनाई गई कुछ नीतियों ने इस परंपरागत वोट बैंक को दूर करने का काम किया है। मोदी निश्चित रूप से उनका समर्थन दोबारा हासिल करना चाहते हैं और यह उनकी प्राथमिकता भी है। लेकिन प्रधानमंत्री का एक वादा ऐसा है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस वादे का ढांचा बीते दशकों में कर्ज को लेकर भारतीय राज्य की गलतियों को ही प्रदर्शित करता है और भारतीय वित्तीय क्षेत्र के इस मुश्किल दौर में इसकी सलाह नहीं दी जा सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर कारोबारियों के लिए भी क्रेडिट कार्ड योजना लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस क्रेडिट कार्ड पर कारोबारियों को बगैर किसी जमानत के 50 लाख रुपये तक का कर्ज भी दिया जाएगा। संकल्पना के स्तर पर इस योजना का मकसद समझा जा सकता है। कई कारोबारियों को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दोहरे आघातों के बाद नकदी की कमी का सामना करना पड़ा है। कर्ज मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में इस खास क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों के ही नजरिये से यह जरूरी लगता है ताकि कारोबारी क्षेत्र में कर्ज का प्रवाह अधिक खुलेपन से होना सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस तरह से निर्देशित कर्ज आवंटन हमेशा ही बुरा विचार होता है। पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि कर्ज बांटने के लिए लगाए गए कर्ज मेले शायद ही कभी अपना लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। आखिरकार निर्देशित कर्ज आवंटन, खासकर बिना जमानत के कर्ज देने से ये कर्ज बांटने के लिए बाध्य किए गए बैंकों पर केवल दबाव ही बढ़ता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आज तक का पूरा इतिहास ही यह दिखाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी नीति का औजार बन जाने पर मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि के संकट में फंस जाते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को इसी आधार पर उचित ठहराया गया था कि नियोजित अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए उन्हें बाध्य किया जा सके।

वास्तव में, बैंक कर्ज फंसने से पैदा हुए संकट से अभी तक ठीक से उबर नहीं पाए हैं। आधारभूत ढांचा, निर्माण, ऊर्जा और कमोडिटी क्षेत्र को कर्ज का आवंटन अब भी फंसा हुआ है। इसी दौरान सरकार ने मुद्रा योजना के तहत बांटे गए कर्जों के रूप में बैंकिंग की पीड़ा और बढ़ाने का ही काम किया है। गत वित्त वर्ष में इन बैंकों में चूक की घटनाएं बढ़ी हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी बैंकों का कर्ज फंसने का एक और जरिया तैयार करने की बात कर रहे हैं। हमारे नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली उनके दोबारा चुने जाने के लिए पैसों का इंतजाम करने का मुफ्त का जरिया नहीं है।

रियायती दरों पर या बिना जमानत के कर्ज देने के वादों का खमियाजा आखिरकार प्रत्यक्ष आय अंतरण के रूप में भरना ही होगा। लेकिन लोन मेला या कर्ज माफी योजनाएं समूची वित्तीय व्यवस्था को दबाव में लाने का काम करती हैं जिसके चलते कोई बैंक आगे कर्ज बांटने पर रोक भी लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आर्थिक सुस्ती या संकट के हालात बन सकते हैं। अगर छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाने को लेकर सरकार वाकई गंभीर है तो इस वादे को लेकर अधिक जानकारी दी जानी चाहिए थी। मौजूदा समय में तो यह एक गलत विचार ही लग रहा है।

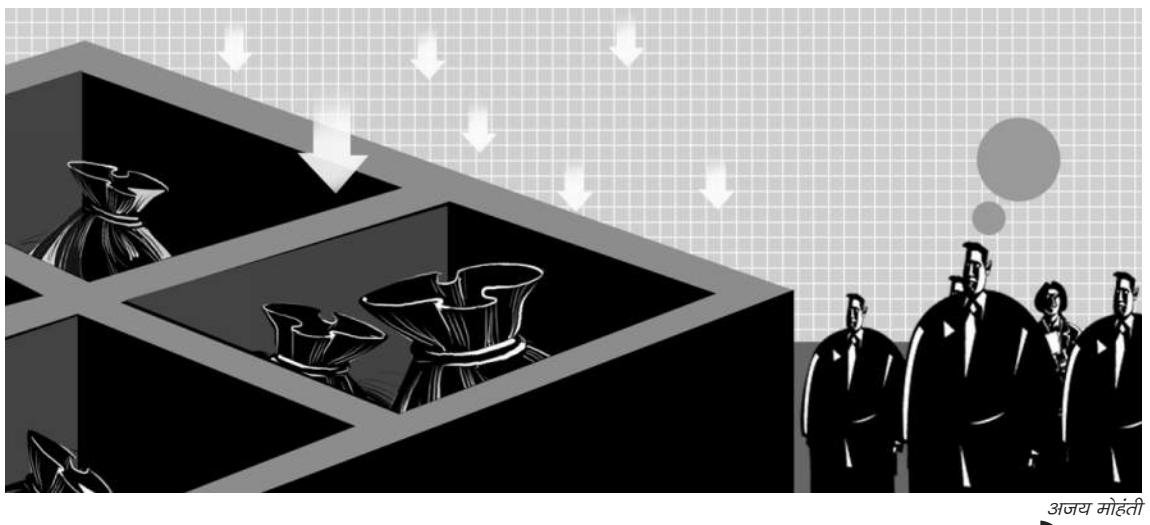

अजय मोहंती

निवेशकों, एमएफ और सेबी के लिए सबक

एफएमपी प्रकरण ने बाजार नियामक, फंड कंपनियों और निवेशकों को बुनियादी नियमों की तरफ लौटने का सबक सिखाया है। फंड बाजार के इस पहलू का विश्लेषण कर रहे हैं देवाशिष बसु

म्युचुअल फंड के निवेशकों को एक और झटका लगा है। कुछ महीने पहले कुछ डेट फंडों को दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके अनिल अंबानी समूह, हद से ज्यादा बड़े ज़ी समूह, विवादास्पद दीवान हाउसिंग और कुप्रबंधन की शिकार इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) में निवेश के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा था। फंड कारोबार को उसी समस्या ने एक बार फिर अपनी चपेट में लिया है। इस बार ज़ी समूह में निवेश करने वाले फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (एफएमपी) लपेटे में आए हैं।

दो फंड हाउस के कुछ एफएमपी पिछले दिनों परिपक्व होने वाले थे लेकिन वे अपने निवेशकों को समूची परिपक्वता राशि नहीं लौटा पाए या फिर उन्होंने परिपक्वता की तारीख आगे खिसका दी। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़ी समूह में निवेश कर रखा था लेकिन समूह उन्हें राशि नहीं लौटा पाया। फंड हाउस ने इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की है लेकिन वे उस प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि एफएमपी की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर वे निवेशकों को समूची रकम लौटाएंगे। किसी भी फंड हाउस के लिए परिपक्व प्लान की राशि को पूरी तरह और निर्धारित समय पर न लौटा पाना निवेशक के साथ किए गए अनुबंध का गंभीर उल्लंघन है और फंड प्रणाली में एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकरण से क्या सीख मिलती है? वह सबक यह है कि नियामक, फंड हाउस और निवेशक तीनों को बुनियादी सिद्धांत की तरफ लौटना चाहिए।

म्युचुअल फंडों के लिए सबक

फंड हाउस कई सुविधाजनक व्याख्याओं के साथ सामने आए हैं, मसलन वे निवेशकों के सर्वश्रेष्ठ हित में काम कर रहे हैं (जबकि पहले वे अपने निवेश निर्णयों को लेकर काफी लापरवाह रहे हैं) लेकिन सच यह है कि उन्होंने ज़ी समूह के शेयरों के एवज में रकम दी है लेकिन वे उन शेयरों को बेच नहीं सकते हैं। इसकी वजह यह है कि तमाम 'लेनदार' वैसी ही हालत में हैं। अगर वे भुगतान में चूक की स्थिति में फंड से निकलने की कोशिश भी करते हैं तो उस प्लान की कीमत 30 फीसदी से अधिक गिर जाएगी।

अब कोई भी प्रेक्षक यह सवाल पूछ सकता है कि निवेशकों ने एफएमपी को चुनकर ऋण प्रतिभूति (डेट) में निवेश करने का विकल्प चुना था तो उन्हें ज़ी के शेयरों से क्या लेना-देना है? अगर वे ज़ी के शेयरों में ही निवेश करना चाहते तो वे इक्विटी फंडों के जरिये या फिर सीधे शेयर ही खरीद सकते थे। यह कमरे में बंद ऐसा हाथी है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है।

म्युचुअल फंडों ने इनमें से अधिकांश मामलों में सूचीबद्ध शेयरों के एवज में 'प्रवर्तक फंडिंग' की है। मेरा मानना है कि प्रवर्तक फंडिंग का मतलब डेट प्रतिभूति में निवेश करना नहीं है। निश्चित रूप से सूचीबद्ध शेयर जैसे अस्थिर समकक्ष के लिए पैसे उधार देना तो तय परिपक्वता अवधि वाली योजना (एफएमपी) के लिए एक त्रासद रणनीति है। हालात उस समय और जटिल हो गए जब म्युचुअल फंडों से लेकर वित्तपोषण कंपनियों जैसी 40 इकाइयां किसी झुंड की तरह एक ही शेयर को उधार देती रहीं। लेकिन अब वह झुंड फंस चुका है। वे अपने पास रखे शेयर बेच नहीं सकते हैं। निवेशकों से मिली रकम निवेश करने वाले म्युचुअल फंडों का काम शेयरों के एवज में उधार देना नहीं है क्योंकि यह सीमित रिटर्न देने वाले डेट उत्पादों में इक्विटी की तरह अधिक जोखिम पर दांव न लगाने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यहीं से हम अगले सबक तक पहुंचते हैं।

निवेशकों के लिए सबक

अपने संस्थान मनीलाइफ में हम करीब 10 वर्षों से लगातार यह कहते आए हैं कि बचतकर्ताओं और निवेशकों को एफएमपी से परहेज करना चाहिए। इसके पीछे बहुत सरल नियम है। इक्विटी जोखिम से भरे होते हैं लेकिन उन पर ऊंचा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। उनकी तुलना में ऋण उत्पाद कम जोखिम वाले होते हैं और उन पर रिटर्न भी अपेक्षाकृत कम ही होता है। यही वजह है कि जब इक्विटी का मामला आता है तो निवेशकों को जोखिम लेना चाहिए लेकिन डेट के मामले में उन्हें जोखिम उठाने से बचना चाहिए। लेकिन अफसोसजनक ढंग से निवेशक इसका ठीक उलटा करते हैं। वे इक्विटी में कम जोखिम उठाते हुए थोड़ा आवंटन ही करते हैं लेकिन ऋण उत्पादों के मामले में थोड़े से अधिक ब्याज और कर बचत के चक्कर में अधिक जोखिम उठाते हैं।

डेट उत्पादों का दूसरा पहलू यह है कि अलग-अलग श्रेणियों में जोखिम का स्वरूप अलग होता है। अगर आपने किसी बढ़िया कंपनी या बैंक में राशि जमा की है तो उसमें कम जोखिम होता है। वहां ब्याज दरें और निवेश की अवधि दोनों ही तय होती हैं और परिपक्वता पर आपको मूलधन के साथ ब्याज भी मिलता है। लेकिन डेट फंड एकदम अलग तरह की योजना होते हैं। वे किसी तरह का ब्याज नहीं देते हैं। डेट फंड और उसके निवेशक दोनों ही ऋण बाजार का हिस्सा बनते हैं और उससे निवेशक को पूंजीगत लाभ या हानि होती है। अब यह एक अलग तरह का जोखिम है जो निवेश का समय गलत होने से जुड़ा है। इसे गलती से 'निश्चित आय वाली योजना' भी कह दिया जाता है। क्या आपके पास ऐसी विशेषज्ञता है कि ऋण बाजार में निवेश का सही समय जान सकें? इसका जवाब ना में है। लिहाजा इस जोखिम से दूर ही रहना चाहिए। या फिर किसी ऐसी योजना को खरीदें जिसमें समय का कोई भी जोखिम न रहे, मसलन लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड। अब हम इतना तो जान ही गए हैं कि डेट फंड शेयरों के एवज में कर्ज देकर इक्विटी बाजार के हालात पैदा कर देते हैं।

सेबी के लिए सबक

ऐसा नहीं है कि बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित ये सबक निवेशकों एवं फंड हाउसों के लिए नए हैं। लेकिन आदतों से जुड़े पूर्वग्रहों- संक्षिप्त याद्दाश्त, लालच, झुंड के रूप में चलने के चलते इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन एक संयमी रेफरी होने के नाते बाजार नियामक सेबी को ऐसा कोई पूर्वग्रह नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा सही कदम उठाने में मदद करने के लिए सेबी के पास संस्थागत स्मृति भी होनी चाहिए।

संयोग से सेबी ने अपने मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी की अगुआई में म्युचुअल फंड कारोबार को साफ-सुथरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फंड हाउसों ने तमाम श्रेणियों में तमाम योजनाएं पेश कर दी हैं जबकि उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। दुर्भाग्य से सेबी डेट फंडों और एफएमपी की नाकामी से जुड़े मामलों में खुद को अक्षम पा रहा है।

सेबी को यह सवाल पूछने की जरूरत है कि एफएमपी का इस्तेमाल सूचीबद्ध शेयरों के एवज में प्रवर्तकों को फंड जुटाने के साधन के तौर पर क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें इक्विटी जोखिम नहीं शामिल है? अगर हां तो फिर यह किसी भी डेट म्युचुअल फंड में एक योजना क्यों होती है? लगता है कि सेबी भी प्रवर्तकों के निवेश साधनों (मसलन, येस बैंक और दीवान हाउसिंग) को फंड मुहैया कराने वाले म्युचुअल फंडों पर कार्रवाई नहीं कर पाया है। सबसे बुरा प्रदर्शन क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसियों का रहा है। इन एजेंसियों ने ही आईएलऐंडएफएस को अव्वल दर्जा दिया था।

ये सभी परिस्थितियां पहले सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। वक्त आ गया है कि हम बुनियादी नियमों का पालन करें। इस दौरान सेबी अधिकारियों को वर्ष 2008 में हुए एफएमपी घोटाले पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए जिसके सबक शायद वे भूल गए हैं।

(लेखक मनीलाइफ डॉट इन वेबसाइट के संपादक हैं)

तकनीकी दौर में अब गोपनीय नहीं रहा आपका गुप्त मतदान

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

लोकसभा चुनाव के मौजूदा अभियान में मतदाताओं को धमकाने की कोशिशें की गई हैं कि भाजपा को मत नहीं देने पर उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने मुसलमानों की एक सभा में कहा है कि उन्हें मत देने वालों के बारे में उन्हें पता चल ही जाएगा और फिर उन्हें मत नहीं देने वाले लोग जब रोजगार मांगने आएंगे तो उनकी मदद करने में उनकी कोई रुचि नहीं रहेगी। उन्होंने मत प्रतिशत के आधार पर गांवों की श्रेणी तय करने की भी बात कही है। इसी तरह गुजरात में भाजपा नेता रमेश कटारा ने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है कि मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं।

यह मसला एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। नागरिकों को गुप्त मतदान का अधिकार मिला हुआ है लेकिन तकनीक एवं चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं के चलते इस गोपनीयता को कायम रख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

अब यह संभव हो चुका है कि किसी व्यक्ति के मत के बारे में काफी हद तक अनुमान लगाए जा सके। मेनका या कटारा की तरह ऐसी बात कहने वाले नेता बहुत कम हैं लेकिन हरेक बड़ा राजनीतिक दल मतदाताओं के व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाने के लिए अपने स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण जरूर करता है।

मतपत्रों के जरिये मतदान की पुरानी व्यवस्था में यह अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था कि किसी मतपेटी में मतपत्र किस क्रम में डाले गए थे? तब यह भी नहीं पता चल पाता था कि किस मतदाता ने किसको मत दिया है? इसके अलावा एक जगह पर इकट्ठा मतपेटियों से निकले सारे मतपत्रों को मिलाए जाने के बाद मतगणना शुरू होती थी। इस तरह मत पूरी तरह गोपनीय रहता था।

लेकिन आधुनिक चुनाव प्रणाली में स्थितियां बदल चुकी हैं। मतदाता सूचियां सार्वजनिक होती हैं और कोई भी ऑनलाइन उन्हें देख सकता है। उन सूचियों में मतदाता का नाम, पिता का नाम, पता, लिंग और उम्र की जानकारी भी दर्ज होती है। मतदाता को मतदाता पहचान-पत्र देने के साथ ही मतदान केंद्र भी आवंटित किया जाता है। अब तो आधार क्रमांक से भी उसे जोड़ा जाने लगा है।

मतदाता सूची तक सबकी पहुंच होनी चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी होने पर उसमें जरूरी संशोधन कराया जा सके। लेकिन यह भी सच है कि मतदाता सूचियों ने किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाले दंगों को भी संभव बनाया है। इसकी शुरुआत 1984 में ही हो गई थी जबकि उस समय मतदाता सूचियां ऑनलाइन नहीं होती थीं।

मतदान के दिन मतदाता अपने आवंटित मतदान केंद्र पर जाता है जहां उसके पहचान-पत्र की जांच होती है। फिर एक रजिस्टर में उसका नाम दर्ज किया जाता है और वह मतदान करता है। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल होता है जिसमें हरेक मत क्रमिक ढंग से रिकॉर्ड होता है और उसका मिलान करने के लिए वीवीपैट पर्ची भी निकलती है। अगर मतदान केंद्र के रजिस्टर का मिलान ईवीएम में दर्ज मतों के क्रम से किया जाए तो यह पता लगाना वाकई में संभव है कि किस मतदाता ने किस उम्मीदवार को मत दिया है। इस मामले में हमें चुनाव आयोग की निष्ठा पर भरोसा करना होता है।

हरेक ईवीएम मशीन एक क्षेत्र में मतदान केंद्र पर लगी होती है जिससे यह पता लगाना भी संभव है कि वहां के मतदाताओं ने किस दल को मत दिया है? यह सूचना सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध होती है। मतगणना केंद्र पर भी उम्मीदवारों के अपने प्रतिनिधि तैनात होते हैं जो मतों की गिनती पर नजर रखते हैं। चुनाव आयोग चुनावों के बारे में फॉर्म 20 भी जारी किया जाता है जिसमें हरेक ईवीएम मशीन में डाले गए मतों का ब्योरा दर्ज होता है।

राजनीतिक दल किसी स्थान पर धर्म, जाति एवं पसंद का अंदाजा लगाने के लिए आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण करते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं को मतदाताओं की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी होती है। अब तो सोशल मीडिया के प्रसार और आधार क्रमांक जोड़े जाने से तमाम योजनाओं के बारे में भी आंकड़े उपलब्ध होने लगे हैं। मसलन, आधार क्रमांक से मोबाइल फोन नंबर के अलावा आयकर रिटर्न और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिये संबंधित व्यक्ति की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, रोजगार और पारिवारिक विन्यास के बारे में भी पता चल जाता है। बहुत कम लोग ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने राजनीतिक रुझान और पारिवारिक संपर्कों के बारे में बताने से खुद को रोक पाते हैं। भला ऐसा करना भी क्यों चाहिए?

जब इन तमाम स्रोतों से मिली सूचनाओं का मिलान फॉर्म 20 से किया जाता है तो काफी सटीक अनुमान मिल जाता है कि किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय और गांव ने किस दल को मत दिया है? दलों के कार्यकर्ता इस आधार पर व्हाट्सऐप एवं फेसबुक ग्रुप बनाकर मतदाताओं को प्रभावित करने में जुट जाते हैं। इस दौरान 'गैर-समर्थक' मतदाताओं की शिनाख्त कर उनका नाम मतदाता सूची से हटवाने या मतदान के दिन उन्हें दूर रहने के लिए बाध्य करने जैसी चालबाजियां भी अपनाई जाती हैं। मेनका और कटारा की इन धमकियों को इसी श्रेणी में रखना चाहिए।

आंध्र प्रदेश में मतदाताओं का प्रोफाइल बनाने के लिए आधार कार्ड से जुड़े आंकड़े खंगालने का आरोप एक निजी फर्म पर लग चुका है। इस धांधली में करीब 80 लाख लोगों के ब्योरे जुटाकर उनका गलत इस्तेमाल किया गया। यह तो आधार रूपी हिमखंड का एक छोटा हिस्सा भर है। ऐसे मामलों में दंड लगभग नगण्य है जबकि फायदा काफी बड़ा है।

मतदान आंकड़ों को अनाम रखने का कोई भी तरीका आसान नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न ईवीएम मशीनों से जुटाए गए आंकड़ों को जोड़कर कुल मतों की गणना किए जाने संबंधी प्रस्ताव को 2017 में वीटो कर दिया था। यह बताता है कि कानूनी प्रणाली पर तकनीक किस कदर हावी हो चुकी है?

कानाफूसी

नकारात्मक प्रतिस्पर्धा

गुजरात और तमिलनाडु दो ऐसे प्रांत हैं जो निवेश के अनुकूल छवि प्रस्तुत करने में प्राय: मित्रवत नजर आते हैं। दोनों राज्यों ने न केवल कारोबारी सुगमता प्रस्तुत की है बल्कि अन्य चीजों के अलावा वे अपने यहां उद्योग धंधों की स्थापना के लिए भी अनुकूल माहौल देते रहे हैं। परंतु पिछले दिनों दोनों राज्यों में ऐसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली जिसमें शायद ही वे पड़ना चाहते हों। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान जब्त की गई नकदी के मामले में तमिलनाडु ने गुजरात समेत देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार तक तमिलनाडु में 935.54 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी थी जबकि गुजरात में 545.29 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी जब्त की गई। गुजरात में 524 करोड़ रुपये और तमिलनाडु में 708.69 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 395.71 करोड़ रुपये मूल्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

नकली मामा, असली साले!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इन दिनों जब वह प्रचार के लिए निकलते हैं तो संजय सिंह मसानी अक्सर उनके साथ नजर आते हैं। मसानी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के सगे भाई हैं। नकुलनाथ लोगों से उनका परिचय कराते हुए कहते हैं, 'ये संजय भइया हैं। ये आपके नकली मामा के असली साले हैं।' दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बच्चों के बीच मामा के नाम से ख्याति हासिल की थी। मसानी ने गत वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। बालाघाट जिले की वारासिवनी सीट पर उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के हाथों पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। हालांकि जायसवाल को बाद में कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया।

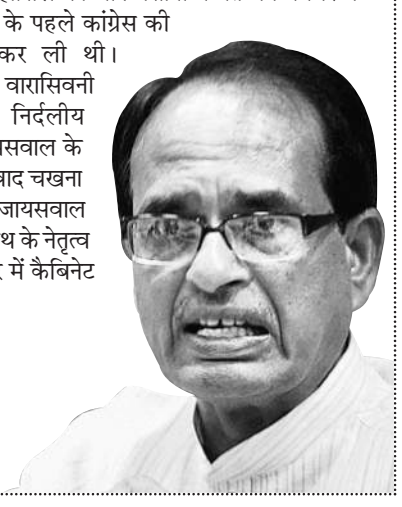

आपका पक्ष

डिजिटल होता चुनाव आयोग

लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव को डिजिटल बना दिया है। प्रत्याशी हो या मतदाता सभी डिजिटल की राह पर हैं। प्रत्याशी और राजनीतिक दल सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपना वोट पक्का करने की जद्दोजहद में लगे हैं। आयोग ने भी मतदाताओं को कई प्रकार के ऐप की सुविधा मुहैया कराई है। आयोग ने मतदाता के लिए चुनाव के बीच ही वोटर टर्नआउट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से मतदाता अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत जान सकते हैं। सी विजिल ऐप के जरिये आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा रहा है। इस ऐप में लगभग 101,448 शिकायतें आई हैं। इनमें 76 प्रतिशत मामले सही पाए गए हैं जिसपर आयोग कदम उठा रहा है। आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। इसमें मतदाता सूची में नाम, पोलिंग बूथ आदि की जानकारी देख सकते हैं। आयोग ने 62.09 लाख दिव्यांग मतदाताओ को चिह्नित किया है जो टोल फ्री नंबर और ऐप की मदद से आयोग को अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। आयोग के ऐप से 2 करोड़ 43 लाख लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची से सत्यापित किया है। साथ ही 4 लाख 70 हजार मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा किया है। समाधान ऐप से 12 लाख शिकायतें और सुझाव आए हैं जिसमें से 99 फीसदी शिकायतों का निपटारा हो गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में तकरीबन 50 ट्वीट, 2 अकाउंट और 500 फेसबुक के मामले पर कार्रवाई की गई है। इस चुनाव को आयोग जहां पूरी तरह डिजिटल बनाने की कवायद में जुटा है, वहीं हम मतदाताओं को भी बढ़चढ़ कर आयोग की इस मुहिम को सफल बनाने में साथ देना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाताओं का जागरूक होना जरूरी है।

अमित पाडेय, बिलासपुर

अगरतला में रियांग जनजाति की महिलाओं ने तीसरे चरण के चुनाव में वोट डाले *-पीटीआई*

भारतीय अभियान से चिंता में अमेरिका

हाल में भारत ने लाइव उपग्रह को गिराने का सफल परीक्षण किया था। इसी क्रम में नासा प्रमुख जिम ब्राइडेंस्टाइन ने कहा कि भारत ने जिस उपग्रह को निशाने पर लिया वह कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उनका कहना है कि टुकड़ों की संख्या 400 से भी अधिक है और इससे इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन को खतरा है। नासा टाउनहॉल में ब्राइडेंस्टाइन ने बताया कि कई टुकड़े बड़े हैं। उन्होंने कहा कि नासा ने छोटे टुकड़ों को ट्रैक किया है और बड़े टुकड़ों की खोज की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए इस तरह की गतिविधियां सही नहीं हैं। जिन ने कहा कि भारतीय उपग्रह को नष्ट करने से उत्पन्न हुए कचरे के 60 छोटे टुकड़ों की पहचान कर ली गई है और इनमें से 24 टुकड़े इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन से ऊपर चले गए हैं। अमेरिका को अंतरिक्ष में कचरों के टुकड़े मिले थे। उन्होंने कहा था कि यह आईएसएस और उसके उपग्रहों के लिए खतरनाक है। नासा प्रमुख ने कहा कि भारतीय परीक्षण के कारण 10 दिनों में आईएसएस पर खतरा 44 फीसदी बढ़ गया था लेकिन वक्त के यह खतरा कम हो सकता है क्योंकि यह वायुमंडल में आने से जलकर नष्ट हो जाता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।